न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश पीलीभीत।

Bail Application No. 375 /2026
CNR No.UPPBO1001173-2026
Case Filing No.11104/2026

सन्तराम पुत्र पूरन लाल निवासी ग्राम महुआ थाना गजरौला जिला पीलीभीत।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–307/2023
धारा–138(1)(बी.) विद्युत अधिनियम
थाना–एंटी पॉवर थ्रेफट, पीलीभीत।

दिनॉक :–07.03.2026

मुकदमा अपराध संख्या–307/2023, अंतर्गत धारा 138(1)(बी.) विद्युत अधिनियम थाना एंटी पॉवर थ्रेफट जिला पीलीभीत के मामले में अभियुक्त सन्तराम पुत्र पूरन लाल निवासी ग्राम महुआ थाना गजरौला जिला पीलीभीत की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार दिनॉक 18.01.2023 को समय 11.30 बजे से 15. 00 बजे के मध्य स्थान वहद ग्राम महुआ थाना गजरौला में वादी मुकदमा जयपाल सिंह अवर अभियन्ता के द्वारा अभियुक्त का संयोजन सं. 761619157612 को चैक किया गया तो अभियुक्त अनाधिकृत रूप से विद्युत की चोरी करता हुआ पाया गया जबकि अभियुक्त का विद्युत संयोजन पूर्व मे बकाया मु. 13413/–रू. अदा न किए जाने के कारण दिनॉक 04.01.2023 को विच्छेदित किया जा चुका था। उक्त के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर अभियोग दर्ज कराया गया।

अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन मे आधार लिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में गांव की पार्टी बंदी के कारण बिल्कुल झूंठा रंजिशन व फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी बिलकुल निर्दोष है। उक्त मुकदमा में वर्णित अपराध प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है तथा उक्त मुकदमा में वर्णित अपराध से किसी भी प्रकार से कोई भी वास्ता सरोकार अथवा संलिप्तता नहीं हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विचार विमर्श कर लिखायी गयी है जिससे अभियोजन कहानी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी को फर्जी बेवजह उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी कानून को मानने वाले गरीब सीधे सादे संभ्रान्त व्यक्ति है। प्रार्थी जमानत के उपरांत मा. न्यायालय अथवा मा. विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक विचारण तिथि पर अविलम्ब उपस्थित होगा तथा मुकदमा के त्वरित विचारण में हर संभव सहयोग करेगा। प्रार्थी मा. न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमें में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है, केवल विद्युत कर्मचारी ही साक्षी है। उपरोक्त वाद में विद्युत विभाग की बकाया धनराशि को जमा कर दिया गया है। प्रार्थी के फरार होने की कोई भी संभावना नहीं है और न ही अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार से

Digitally signed by Anu Saxena
Date: 2026.03.18 11:23:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अनुचित दबाव अनुचित प्रभाव डालने की कोई भी संभावना है। प्रार्थी का मा. न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी न्यायालय में या मा. न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी का. न्यायालय की संतुष्टि हेतु योग्य जमानतदार देने हेतु तैयार है। उक्त आधारो पर जमानत आवेदन स्वीकार कर जमानत पर अवमुक्त किए जाने की याचना की गयी है।

विद्युत विभाग के विशेष अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा बकाया व कराधान जमा करने के बाबत अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी प्रप्तांक के प्रति पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध अन्य समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा द्वारा अपने सहकर्मियो के साथ चैकिंग किए जाने पर विद्युत चोरी किए जाने का आक्षेप है जबकि अभियुक्त का विद्युत संयोजन पूर्व मे बकाया अदा न किए जाने के कारण विच्छेदित किया जा चुका था। अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के द्वारा विद्युत विभाग की बकाया धनराशि जमा कर दी जा चुकी है। अभियुक्त की ओर विद्युत बिल जमा लिए जाने संबंधी प्रपत्र जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न पत्रावली है। अतः मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–307/2023, अंतर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम थाना एंटी पॉवर थ्रेफट, जिला पीलीभीत के मामले में अभियुक्त सन्तराम पुत्र पूरन लाल निवासी ग्राम महुआ थाना गजरौला जिला पीलीभीत। की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु. 25,000/–रू. के दो प्रतिभू एवं समानराशि का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

(अनु सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पीलीभीत।